प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021

प्रपत्र–5

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरू

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) ...लोकअदालत

पीठासीन अधिकारी :– श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

उनवान

रमेश कुमार ..... बनाम राजस्थान सरकार आदि तहसीलदार, चूरू.

दावा बाबत ...नाम दुरस्ती U/S 88 RTA

मुकदमा नम्बर :– 100/2022

निर्णय दिनांक :– 01.06.2022

वादी की ओर से ...स्वयं.....की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 01.06.2022 को श्री सत्यनारायण आर.ए.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरू के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि – दावा वादी स्वीकार किया जाकर राजी राज लोकअदालत के खाता नं. 256 खसरा नम्बर 26, 1472/22 में अंकित महेश पुत्र रामकरण के बजाय रमेश कुमार पुत्र रामकरण के नाम की घोषणा की जाती है। तहसीलदार, चूरू उम्दा उसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। वादी के पक्ष में कोई अपरिहार्य प्रकरण दर्ज है तो पक्ष नाम ही मान्य होगा।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 01.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सत्यनारायण)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .....रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़			

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2022.10.06 16:00:42 IST
Reason: SelfAttested

नि० सं० 235
03/06/2022

Scanned with CamScanner